प्रेस नोट

थाना हजारा पुलिस द्वारा (नेत्र परीक्षक) की हत्या करने वाले अभियुक्त को मय आलाकत्ल सहित किया गिरफ्तार।

दिनांक 07.01.2023 को ग्राम रामनगर थाना हजारा जनपद पीलीभीत क्षेत्र में नेत्र परीक्षक सर्यप्रकाश यादव पुत्र सूर्यबली सिंह यादव निवासी ग्राम रामनगर थाना हजारा पीलीभीत हाल निवासी गणपति इन्कलेव मिट्ठी बहरी थाना प्रेमनगर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) का रक्त रंजित शव उनके कमरे में मिलने पर उनके पुत्र श्री शुसांत कुमार द्वारा थाने पर दी गयी सूचना के आधार पर मृतक के शव का उच्चाधिकारीगणों /फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण करने के उपरान्त पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी थी। दिनांक 09.01.23 को उक्त सम्बन्ध में मृतक के पुत्र द्वारा थाना हजारा पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 04/23 धारा 302 भादवि0 बनाम सन्तलाल पुत्र मग्गन निवासी ग्राम बहादुर नगर थाना हजारा पीलीभीत पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद पीलीभीत, के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पीलीभीत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोदय पूरनपुर के नेतृत्व में थाना हजारा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.01.23 को समय 06.15 बजे मुखबिर की सूचना पर ग्राम बहादुरनगर के बाहर खेत में झोपडी से मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सन्तलाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा पूछताँछ में दिनांक 03/04.01.23 की रात्रि में मृतक सूर्यप्रकाश यादव (नेत्र परीक्षक) की हत्या कर कमरे का तालाबन्द कर भाग जाना स्वीकार किया गया। जिसके पास से मृतक का मोबाईल व घर की चाबी का गुच्छा , अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने गये खून से सने कपडे व आला कतल फावड़ा बरामद कराया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त सन्तलाल उपरोक्त को अपराध धारा 302/201 भादवि0 में गिरफ्तार कर मा0न्यायालय पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम

सन्तलाल पुत्र मग्गर उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बहादुर नगर थाना हजारा पीलीभीत।

बरामदगी

1. आलाकत्ल फावडा (खून लगा हुआ)
2. मृतक का मोबाइल रेड मी नोट 11 व घऱ की चाबी का गुच्छा मय चाबी
3. अभियुक्त द्वारा घटना केसमय पहने हुए कपडे (खून से सने हुए)

पुलिस टीम का विवरण

01.प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार मिश्रा

02.उ0नि0 श्री प्रताप सिंह

03.का0 1484 प्रवीन कुमार

04.का0 254 अंकुर कुमार